Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 127 / 04 सी.आई.एस.क्र.– 127 / 04

ईश्वर चन्द्र यादव बनाम सहजी देवी द्वारा विधिक प्रतिनिधि

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
30/05/25	वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2ए एवं 2बी, 5, 6, 7 व अन्य प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। अतः वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रति को प्राप्त करके प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता के आवेदन दिनांक 11.04.25 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा पूर्व में मौजा जी.एन. गंज में स्थित खाता 663 खेसरा 2308 को वादपत्र के अनुसूची ए में जोड़े जाने हेतु आवेदन दिया गया था जिसे स्वीकृत कर दिनांक 06.08. 2007 को उक्त संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई थी परंतु त्रुटिवश उक्त भूमि अनुसूची ए की जगह अनुसूची बी में दर्ज हो गया जिस कारण से वादी के द्वारा यह संशोधन आवेदन लाया गया है। अतः निवेदन है कि वादपत्र के अनुसूची बी से खाता 663 खेसरा 2308 के विवरण को विलोपित कर अनुसूची ए में जोड़े जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी संख्या 4,5,6 की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी इस वाद के निष्पादन में विलंब कारित करने से आशय से बार–बार आवेदन दे रहे हैं। वादी के द्वारा जान–बूझकर खाता 663 खेसरा 2308 की भूमि का विवरण इस विभाजन वाद में उक्त मूल्यवान भूमि को हड़पने के उद्देश्य से वादपत्र में नहीं दिया गया था जिसका वर्णन प्रतिवादी संख्या 5 के लिखित कथन में दिया गया तब जाकर वादी के द्वारा उक्त भूमि को वादपत्र के अनुसूची ए में जोड़े जाने हेतु आवेदन दिया गया था परंतु उक्त आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी वादी के द्वारा जान–बूझकर वाद में विलंब कारित करने के आशय से उक्त भूमि को अनुसूची ए की जगह अनुसूची बी में जोड़ा गया तथा बहस के दौरान उक्त त्रुटि का पता चलने पर वादी के द्वारा पुनः आवेदन दिया गया है जो प्रतिवादीगण को आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान करने के उद्देश्य से लाया गया है जिस कारण से यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा पूर्व में भी इसी आशय का संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 06.08.2007 इस न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किया गया था परंतु त्रुटिवश संशोधित भूमि का उल्लेख अनुसूची ए की जगह अनुसूची बी में कर दिया गया है जिसे सुधार करने हेतु यह आवेदन लाया गया है। यह संशोधन सामान्य प्रकृति का है। अतः न्यायहित में इस आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 09.06.25 प्रत्युत्तर हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	